निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 144 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा, के माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री बिभाष मुखर्जी एवं श्री अनिल कुमार शर्मा/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री नन्दन सिंह भण्डारी/लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21/02/2019 से 01/03/2019 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की पूर्व लेखा परीक्षा श्री राजेश कुमार सिन्हा एवं श्री अनिल कुमार/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06/02/2018 से 17/02/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी, उक्त लेखा परीक्षा में माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखो की सामान्यतः जांच की गई थी

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड ,दुगड्डा,** के अंतर्गत यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र, लेन्सडॉन विधानसभा क्षेत्र एवं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य ।
3. (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2015-16	-	-	-	-	-	3629.46	4050.59
2016-17	-	-	-	-	-	2878.39	3163.21
2017-18	-	-	-	-	-	2793.27	3891.95
2018-19 (02/2019)	-	-	-	-	-	3579.67	2570.30

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	शून्य				
2017-18					
2018-19(12/2018)					

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

i.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

ii. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

iii.अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

iv. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा.

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु एवं विकास खंड दुगड्डा के अंतर्गत विभिन्न मार्गो का सीसी ब्लॉक एवं इंटर लोकिंग टाइल्स द्वारा सुधारीकरण के कार्य को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

7. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य बार निरीक्षण किया गया।

8. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 .तथा 03/2017 तक की गई।

9. फार्म 51: माह 01/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग I Rs (-)714450.32

भाग II Rs 7905100.74

10. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 29843068.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य शून्य
(घ)	निक्षेप	` 37235369.00
(ङ)	भण्डार	`(-)21500516.00

भाग –दो 'ब'

प्रस्तर-1 रु0 260.59 लाख जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर जी0एस0टी0 विभाग को नहीं किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,दुगड्डा के माह 02/2018 से 12/2018 तक के जी0एस0टी0 भुगतान अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों के क्रम में ठेकेदारों को रु0 260.59 लाख जी0एस0टी0 भुगतान किया गया। उक्त जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना खण्ड द्वारा संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी / जी0एस0टी0 विभाग, को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित नहीं की गई थी। जिससे की ठेकेदारों को भुगतान की गई जी0एस0टी0 की धनराशि को ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार के खजाने में जमा / समय से जमा किया गया है अथवा नहीं को सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया था कि शीघ्र सूचना तैयार कर संबन्धित विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी।

खण्ड का उत्तर संतोष जनक नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा ठेकेदार, जो कि एक शासकीय व्यक्ति नही है, को भुगतान की गई राजस्व की धनराशि की सुरक्षा का दायित्व भी खण्ड का है एवं राजस्व की धनराशि को ठेकेदार द्वारा यथासमय उपयुक्त शीर्ष में जमा करा दिया गया है अथवा नहीं इस हेतु भुगतान की गई जीएसटी की धनराशि की सूचना संबधित कर अधिकारी को दिया जाना चाहिए था जिससे राजस्व धनराशि का दुरुपयोग रोकने के साथ ही सुरक्षा भी की जा सके।

अतः रु0 260.59 लाख जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग, को नहीं किये जाना का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 2- रुपए 172.23 लाख का दायित्व सृजन किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -6 के नियम 580 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राहक विभाग से निक्षेप कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय कर दायित्व का सृजन कदापि न किया जाये एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -6 के नियम 658 के अनुसार ग्राहक विभाग के सक्षम अधिकारी के प्राधिकार के बिना किए जाने वाले कार्य के आगणन से इतर कार्य नहीं किया जाना चाहिए।व्यय की गई अधिक धनराशि को विविध अग्रिम पंजिका में वसूली हेतु दर्ज किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा के लेखा अभिलेखों कि नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत निम्न धनराशि विगत वर्षों से ऋणात्मक दर्शायी जा रही थी।

क्रम संख्या	मद नाम	धनराशि
1	अन्य निक्षेप	-16693295.00
2	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विधालय मथाना	-530000.00
	योग	-1,72,23,295.00

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा निक्षेप की धनराशि का समायोजन करने की कार्यवाही की जा रही है एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विधालय मथाना की धनराशि संबन्धित विभाग से प्राप्त होने पर स्वयं समायोजित हो जाएगी।

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योकि उक्त धनराशि विगत कई वर्षो से असमायोजित पड़ी है एवं उक्त धनराशियों के असमायोजित रहने के कारण खण्ड द्वारा रुपए 172.23 लाख के दायित्व का सृजन अनावश्यक रूप से किया गया था

अतः रुपए 172.23 लाख के दायित्व के सृजन का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	56/2004-05	-	1
2	22/2009-10	2	-
3	31/2010-11	1,2	1,2
4	17/2011-12	1,2	3
5	10/2014-15	1,2,3	1
6	66/2015-16	1	1
7	56/2016-17	-	1,2
8	91/2017-18	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अद्यतन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया।**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री निर्भय सिंह	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   श्री पुष्कर राणा

प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2